

सं. 17/67/जेसीएम/95-पीपीएस
11/12

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110001



सं. 17/67/जेसीएम/95-पीपीएस

दिनांक: 12.11.2008

प्रेषक/From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में/To

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रधान

विषय: परियोजना अध्यक्षों के रूप में कार्य करने के लिए समूह-III कर्मचारियों को अनुमति प्रदान करने विषयक

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) की दिनांक 8.1.2008 को संपन्न 5वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि फास्टर ट्रैक प्रावधान संगत अर्हता वाले किसी कर्मचारी को उपयुक्त समूह में रखने के लिए एकबारगी किया गया उपाय था ताकि एनआरएस में पदों के समूहन के कारण उच्चतर समूह की अर्हता सहित नियुक्त पदधारी को हानि न हो क्योंकि दिनांक 1.2.1981 से पहले विभिन्न पदों के लिए कोई विशिष्ट अर्हता निर्धारित नहीं थी। अतः फास्टर ट्रैक पदोन्नति के लिए कट ऑव डेट को बढ़ाया नहीं जा सकता है। तथापि, अध्यक्ष ने इंगित किया कि सीएसआईआर की सेवा में रहते हुए पीएच.डी. अर्हता हासिल करने एवं महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कर्मचारियों के लिए कोई क्रियाविधि बनाई जाएगी।

अतः अध्यक्ष, जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ने निर्णय लिया है कि वरिष्ठ पदों पर कार्यरत और पीएच.डी. अर्हता प्राप्त समूह-III के स्टाफ कर्मचारियों को परियोजना प्रस्ताव तैयार करने, उन्हें प्रस्तुत करने और परियोजना अध्यक्षों के रूप में स्वतंत्र परियोजनाएं प्रारंभ करने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, वे परियोजना विशेष में कार्यरत समूह-IV, वैज्ञानिक के रिपोर्टिंह अधिकारी नहीं हो सकते।

भवदीय,

(Handwritten signature)

(सी.मानवभगन)

अवर सचिव

As Per...
10/12

प्रति:

cc: ① Co-ordinator
② Director
③ Secy (Admn.)

1. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
2. सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वित्त एवं लेखा नियंत्रक/वित्त एवं लेखाधिकारी
3. महानिदेशक, सीएसआईआर के निजी सचिव
4. अवर सचिव, संयुक्त सचिव (प्रशा.) कार्यालय
5. वित्त सलाहकार, सीएसआईआर की निजी सहायक
6. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर के निजी सहायक
7. विधि सलाहकार, सीएसआईआर के निजी सहायक
8. सीएसआईआर मुख्यालय एवं सीएसआईआर कॉम्प्लेक्स के वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव/अवर सचिव
9. सीएसआईआर मुख्यालय के वरिष्ठ उप वित्त सलाहकार/उप वित्त सलाहकार/वित्त एवं लेखा अधिकारी
10. प्रधान, आरडीपीडी/टीएनबीडी/इस्टैड्स/यूआरडीआईपी/आईपीएमडी/एचआरडीसी/एचआरडीजी/आरएबी/यूएसडी
11. प्रधान, आईटी डिविजन - इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को सीएसआईआर की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएं।
12. डॉ. आर.बी. मिश्रा, सचिव, स्टाफ साइड, जेसीएम, औद्योगिक विषयविज्ञान अनुसंधान केन्द्र, महात्मा गांधी मार्ग, पोस्ट बॉक्स नं.80, लखनऊ-226001

अ.अ. (241-111)

10/12